न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 36/2023
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

महकप्रीत सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ

–वादी

बनाम्

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र बुगरसिंह सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. गुरसेवक सिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
3. जसप्रोत कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। **–प्रतिवादीगण**

उपस्थित :–1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादीगण
2. श्रो मनीराम सहू–वकील प्रति 1 ता 3

निर्णय **दिनांक :–**

वादीगण महकप्रीत सिंह ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 01–02–2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया ह। कि वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वादी प्रतिवादी सं 1 का पोत्र व प्रतिवादी सख्या 2 का पुत्र व प्रतिवादी सख्या 3 का भाई है प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक न 10 पी.टी.पी ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 45/42 मे 4.807 हे0 व इसी चक के खाता सख्या 46/39 मे 1.518 हे0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हे। जिसकी प्रति सलग्न वादपत्र है। कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक न. 10 पी.टी.पी ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 45/42 मे 4.807 हे0 व इसी चक के खाता सख्या 46/39 मे 1.518 हे0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हे। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 की विरासतन प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी सख्या 3 का प्रतिवादी सख्या 1 के बराबर ब.ही.ब हक व हिस्सा जन्म से बनता है प्रतिवादी सख्या 3 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग

वादी व प्रतिवादी सख्या 2 के पक्ष मे ब.ही.ब कर दिया है। प्रतिवादी सख्या 2 प्रतिवादी सख्या 1 का इकलोता पुत्र है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी सखया 1 व 2 ने अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन कर लिया है। मुताबिक घरू विभाजन वादी व प्रतिवादी सख्या 2 को चक न 10 पी.टी.पी के खाता सख्या 45/42 की 4.807हे भूमि मे से वादी के हिस्सा मे 1.518 हे0 भूमि आई है व प्रतिवादी सख्या 1 को 3.289 हे0 भूमि हिस्सा मे आई है। वादी इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 3 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातदार काश्तकार मानकर इसो अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा व उक्त भूमि को रहन बैय न करे तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि वाद पत्र बाबत घोषण व शाश्वत व्यादेश का हैं जो उचित 2/—रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। की प्रतिवादी संख्या 4 को लैंण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें —: प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक न. 10 पी. टी.पी ज.स. 2070—2073 के खाता सख्या 45/42 मे 4.807 हे0 भुमि मे से वादी को मे 1.518 हे0 भूमि व प्रतिवादी सख्या 2 को 3.289 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 के नाम कलमजन किया जावें।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 4 का ज्बाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जं.बं. चक नं. 10पी.टी.पी ज.स 2070—2073 के खाता सं. 45/42 व इसी चक के खाता सं. 46/39 नहरी कृषि भूमि जो प्रदर्श 1 व 2 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण का खाता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक न. 10 पी.टी.पी ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 45/42 मे 4.807 हे0 भुमि मे से वादी को मे 1.518 हे0 भूमि व प्रतिवादी सख्या 2 को 3.289 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 के नाम कलमजन किया जावें। प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर प्रस्तुत दस्तावज प्रदर्श 1 व 2 प्रदर्श किये गए व विरासतन इन्तकाल का अवलोकर किया। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 व 2 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक न. 10 पी.टी.पी ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 45/42 मे 4.807 हे0 भुमि मे से वादी को मे 1.518 हे0 भूमि व प्रतिवादी सख्या 2 का 3.289 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 के नाम कलमजन किया जावें पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 36/2023
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

महकप्रीत सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ

–वादी

बनाम्

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र बुगरसिंह सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. गुरसेवक सिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
3. जसप्रीत कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तइ रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादीगण व श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक न. 10 पी.टी. पी ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 45/42 मे 4.807 हे0 भुमि मे से वादी को मे 1.518 हे0 भूमि व प्रतिवादी सख्या 2 को 3.289 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोंषित कर प्रतिवादी सख्या 1 के नाम कलमजन किया जावें।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे
नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।
निज....×.....नल.....×.....मुब्लिक.....×.....निल.....×.....बाबत...×....निल..×.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक . ...×....अदा करें।

बसब्त मरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.02.2023 जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official